भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2317
दिनांक 06.08.2024 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण

2317. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किए जाने को संवैधानिक तंत्र की विफलता माने जाने की संभावना है;

(ग) क्या संसद द्वारा वर्ष 1996 में पारित किए गए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया था और राज्यों से एक वर्ष के भीतर इस संबंध में आवश्यक कानून अधिनियमित करने की आशा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं, जिन्होंने निर्धारित समयावधि तक उक्त उपबंध का अनुपालन किया था और जिन्होंने अनुपालन नहीं किया था?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) 'पंचायत' 'स्थानीय शासन' होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। भारत के संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243ग द्वारा पंचायतों की स्थापना के लिए अधिदेश दिया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या से जितना हो सकता है उतना निकट होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण

के प्रावधानों को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य पंचायती राज अधिनियमों में सम्मिलित कर लिया गया है।

(ग) जी हां, महोदय।

(घ) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) को संविधान के भाग 9 को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस सभी राज्यों ने पेसा अधिनियम के अनुरूप लाने के लिए अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों और संबंधित विषय कानूनों के संशोधन को संसाधित करने के लिए कदम उठाए हैं। पेसा अधिनियम की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अनुपालन को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-I** पर रखा है और पेसा अधिनियम के साथ महत्त्वपूर्ण विषय कानूनों के अनुपालन को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-II** पर रखा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों ने अपने संबंधित पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत अपने राज्य पेसा नियम बना लिए हैं। दो पेसा राज्यों, क्रमशः झारखंड और ओडिशा ने अपने पेसा नियमों का मसौदा अधिसूचित कर लिया है। राजस्थान ने पेसा अधिनियम, 1996 के अनुरूप "राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999" को भी अधिनियमित किया है।

अनुबंध-I

दिनांक 06.08.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2317 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पेसा अधिनियम की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों का अनुपालन

पेसा राज्य	पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4 के अंतर्गत उपबंध														
	(घ) ग्राम सभा द्वारा विवादों को सुलझाने का प्रथागत मोड	(ड.) ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों की पहचान	(च) ग्राम सभा से पंचायतों द्वारा यूसी प्राप्त करना	(ज) जिला एवं मध्यवर्ती पंचायतों में एसटी प्रतिनिधि न होने पर राज्य सरकार द्वारा एसटी व्यक्ति को नामित करना	(झ) भूमि अधिग्रहण, पुनर्बहाली से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श पुनर्वास	(ञ) पीआर आई या ग्राम सभा द्वारा जल इकाइयों का नियोजन एवं प्रबंधन	(ट) पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के अनुदान से पहले ग्राम सभा या पीआरआई द्वारा सिफारिश	(ठ) (लघु खनिजों के दोहन से पहले ग्राम सभा या पीआरआई द्वारा सिफारिश)	धारा-4(ड)						
									(i) (नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध)	(ii) (लघु वनोपजों का स्वामित्व)	(iii) (भूमि अलगाव पर रोक)	(iv) (गांव के बाजारों का प्रबंधन)	(v) (धन उधारी पर नियंत्रण)	(vi) (सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों और अधिकारियों पर नियंत्रण)	(vii) (स्थानीय योजनाओं और जनजातीय उप-योजना सहित ऐसी योजनाओं हेतु संसाधनों पर नियंत्रण)
आंध्र प्रदेश	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
छत्तीसगढ़	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
गुजरात	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
हिमाचल प्रदेश	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
झारखंड	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	हां
मध्य प्रदेश	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	हां
महाराष्ट्र	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
ओडिशा	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
राजस्थान	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
तेलंगाना	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

'हां' का मतलब है पेसा अधिनियम के अनुरूप प्रावधान बनाए गए हैं।

'नहीं' का मतलब है कार्रवाई पूरी नहीं की गई है।

अनुबंध-II

दिनांक 06.08.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2317 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पेसा अधिनियम के साथ महत्त्वपूर्ण विषय कानूनों का अनुपालन

पेसा राज्य	भूमि अधिग्रहण	आबकारी	वनोपज	खान एवं खनिज	कृषि उपज एवं बाजार	धन उधारी
आंध्र प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
छत्तीसगढ़	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
गुजरात	हां	हां	हां	हां	हां	हां
हिमाचल प्रदेश	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
झारखंड	नहीं	नहीं	हां*	नहीं	नहीं	नहीं
मध्य प्रदेश	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
महाराष्ट्र	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां
ओडिशा	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
राजस्थान	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं
तेलंगाना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

** झारखंड सरकार ने 8.2.2007 को ग्राम पंचायतों को लघु वनोपज पर स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक संकल्प पारित किया है।*

'हां' का मतलब है पेसा अधिनियम के अनुरूप प्रावधान बनाए गए हैं।

'नहीं' का मतलब है कार्रवाई पूरी नहीं की गई है।
